राजस्थान सरकार

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर (राज.)

गाडिया लुहारों को मकान निर्माण हेतु सहायता राशि का आवेदन पत्र

फोटो

1. प्रार्थी का नाम : ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....
3. आवेदक की श्रैणी (महिला/पुरूष): ....
4. जाति :...
5. निवास स्थान ....तहसील..............................जिला ....
6. पेशा ....वार्षिक आय ....
7. कुटुम्ब में सदस्यों की संख्या ....
8. जिस स्थान पर मकान बनाया जा रहा है उसकी स्थिति

    (अ) क्या मकान किसी पुराने प्लाट पर/नये प्लाट पर बनाया जावेगा ।

    (ब) प्लाट की लम्बाई व चौड़ाई ....

    (स) मोहल्ले का नाम ....

    (द) क्या मकान पक्का बनाया जावेगा ।

मैं स्वयं को नियमों में आबद्ध करता हूँ कि मकान के लिए जो धनराशि सहायता के रूप में मुझे मिलेगी उसका सही तौर से उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग करूंगा जिसके लिये स्वीकृति हुई है। इस संबंध में जो भी नियम अथवा आदेश निकलेंगे मैं, (प्राथी का नाम) श्री/श्रीमती .... को पूर्ण रूप से उनका पालन करूंगा/करूंगी।

मैं घोषणा करता हूँ कि यह जमीन किसी के गिरवी रखी हुई नहीं है एवं मेरे पास इस जिले में अथवा राज्य में कोई दूसरा मकान नहीं है। इस संबंध में जारी किये जाने वाले नियम तथा आदेशों की मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा/करूंगी। मैंने अभी तक किसी दूसरे सरकारी विभाग से मकान बनाने व जीर्णोद्वार के लिये किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ली है।

तस्दीक उपरोक्त विवरण सही है। प्रार्थी क हस्ताक्षर

सरपंच/अध्यक्ष नगरपालिका

साक्षी 1.............................

साक्षी 2.............................

<u>जाति प्रमाण पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... मौहल्ला .... तहसील .... जिला .... जो गत एक वर्ष से इस क्षैत्र में स्थाई निवास कर रहे है, गाड़िया लुहारों में से और वर्तमान लोहारगिरी का व्यवसाय करते है।

हस्ताक्षर

पद (मोहर)

नोटः– यह प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधायक/तहसीलदार अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षरित कराया जायेगा।

:: रियायती प्रमाण पत्र ::

जारी करने वाले डाक्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और मुहर सहित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाए।

अस्थियों में विकृति के कारण विकलांग अंपग व्यक्तियों/रोगियों को रियायत प्रदान करने के लिए सरकारी डाक्टर द्वारा प्रयोग किये जाने वाला फार्म

यह प्रमाणित किया जाता हे कि कु./श्री/श्रीमती .... जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, एक सदस्थायी अस्थि विकृति से विकलांग/अपंग व्यक्ति/रोगी है और किसी मार्गरक्षाा की सहायता के बिना यात्रा नहीं कर सकते है।

अस्थि विकृति से विकलांग/अपंग व्यक्ति/रोगी का ब्यौरा :–

(क) पता ....

(ख) पिता/पति का नाम ....

(ग) आयु...

(ड) विकलांगता किस्म – डॉक्टर द्वारा लिखा जाए कि विकलांगता अस्थायी है या स्थायी ....

(च) कार्य करने में असमर्थता का कारण ....

(छ) अस्थि विकृति से विकलांग/अपंग व्यक्ति/रोगी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उन व्यक्तियों क लिये नहीं जिसके दोनों हाथ या तो नहीं है या कार्य करने में असमर्थ है ....

स्थान....................................

सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर

दिनांक ....

सरकारी अस्पताल/क्लीनिक की स्पष्ट मुहर जो लागू न हो उसे काट दे।

मुहर जिस पर डाक्टर का पूरा नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर हो।

टिप्पणी :–

1. प्रमाण पत्र केवल उन अस्थि विकृति के कारण विकलांग/अपंग व्यक्तियों /रोगियों को जारी किया जाना चाहिए जो किसी मार्गरक्षी की सहायता के बिना यात्रा नहीं कर सकते । फोटा पर डाक्टर द्वारा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाएं और मुहर लगाई जाए कि हस्ताक्षर और मुहर का कुछ भाग फोटो पर और कुछ भाग प्रमाण पत्र पर हो ।
2. अस्थायी विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। स्थायी विकलांगता के मामले में प्रमाण पत्र (1)25 वर्ष की आयु तक के लिए पांच वर्ष (2)26 से 35 वर्ष की आयुय के व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष तथा (3) 35 से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्पूर्ण जीवन के लिए वैध रहेगा । प्रमाणपत्र वैधता अवधि की समाप्ति के बाद व्यक्ति को नया प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा । इस प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट प्रतिलिपि रियायत प्रदान करने के लिए स्वीकार की जाएगी, मूल प्रमाणपत्र को रियायत टिकट खरीदते समय और यात्रा के दौरान मांगने पर निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत करना होगा ।फार्म में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है ।

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर (राज.)

गाड़िया लुहारों हेतु कच्चा सामान क्रय करने हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	प्रार्थी का नाम	:	....
2.	पिता / पति का नाम	:	....
3.	व्यवसाय	:	....
4.	निवास स्थान (पूरा पता)	:	....
5.	कुटुम्ब में सदस्यों की सख्ंया	:	....

मैं घोषणा करता हूॅ कि मैं गाडिया लुहार हूॅ और मैं लौहारगिरी करता हूॅ। मैं यह भी घोषणा करता हूॅ कि जो धन राशि सहायता के रूप में मिलेगी उसका उपयोग किसी प्रयोजन के लिए करूंगा जिसके लिये स्वीकृति प्रदान हुई है। इस संबंध में जो भी नियम एवं आदेश निकलेंगे मैं .... पूर्ण रूप से उसका पालन करूंगा।

अनुदान की राशि खरीदे गये कच्चे माल की रसीदें और उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के तीन माह में कर दूंगा। मैं यह भी प्रमाणित करता हूॅ कि मैंने इससे पूर्व इस कार्य हेतु ऋण नहीं लिया है। समाज कल्याण विभाग की सहायता नहीं ली है।

प्रार्थी का हस्ताक्षर

साक्षी :

1. ....
2. ....

.....2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र .... निवासी .... जिला नागौर जो गत एक वर्ष से इस क्षेत्र में स्थाई निवास कर रहा है, गाड़िया लौहारों में से है और वर्तमान में लौहारी का व्यवसाय करते है।

हस्ताक्षर
पद (मोहर)

चयन समिति की सिफारिश

समिति यह सिफारिश करती है कि नियमानुसार प्रार्थी के नाम लुहारगिरी के लिये कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान सहायता राशि .... स्वीकृत की जा सकती है।

जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता नागौर	प्रतिनिधि जिला कलक्टर नागौर	जिला उद्योग अधिकारी नागौर

अनुदान स्वीकृति

चयन समिति कि सिफारिश के आधार पर श्री .... पुत्र श्री .... निवासी .... के पक्ष में कच्चा माल क्रय करने हेतु रू. 500/— तक अनुदान सामग्री दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक ....

जिला अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
नागौर